

पत्रांक-22/सं0नि0-07/2024 सा0प्र0-15308/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ई-मेल

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-25.9.2024

विषय:- सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन/अवधि विस्तार हेतु संबंधित चयन समिति की अनुशंसा के लिए औचित्य सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मियों एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के संविदा के आधार पर नियोजित/अवधि विस्तार करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किये गये हैं।

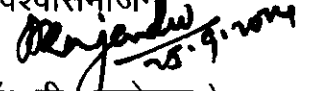
2. उक्त प्रावधानों के आलोक में राज्य स्तरीय/विभाग स्तरीय/प्रमंडल स्तरीय/जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा हेतु विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग/प्रमंडलों/जिलों में प्राप्त होते हैं।

3. सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा राज्यकर्मियों को वेतनमान सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा पर नियोजन अथवा अवधि विस्तार करने की आवश्यकता अपेक्षाकृत न्यून हो गई है।

4. वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि भविष्य में राज्य स्तरीय/विभाग स्तरीय/प्रमंडल स्तरीय/जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव संबंधित चयन समिति को अग्रसारित करने के पूर्व प्रासंगिक संविदा नियोजन/अवधि विस्तार की आवश्यकता/औचित्य की समीक्षा कर ली जाय एवं कार्य विशेष के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मियों की अपरिहार्यता के बिन्दु पर सुस्पष्ट अभिमत गठित करते हुए प्रस्ताव अनुशंसा के साथ संबंधित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

साथ-ही पूर्व में राज्य स्तरीय/विभाग स्तरीय/प्रमंडल स्तरीय/जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा संविदा नियोजन हेतु अनुशंसित कर्मियों का भी अवधि विस्तार करने के पहले उसकी आवश्यकता/औचित्य की समीक्षा करने के उपरांत ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के कंडिका-03 (2) (क) (V) के तहत अवधि विस्तार से संबंधित आदेश सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

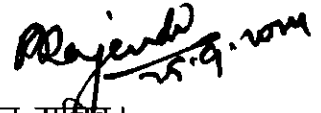
 25.9.2024

(डॉ० बी० राजेन्द्र)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-22/सं०नि०-07/2024सा०प्र०-15308.../पटना-15, दिनांक-25.9.2024

प्रतिलिपि:--आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 25.9.2024

प्रधान सचिव।